

IV 48

20 + 92 = 1120



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

750
ट्रस्ट/न्यास डीड (दस्तावेज)

AJS

ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान)
सिकरारा, जौनपुर, पिन-222131

BF 599199

3-3-16

OF UTTAR PR

मै आषीष कुमार पुत्र श्री कैलाश नाथ यादव ग्राम-भरतपुर, पोस्ट-सिकरारा, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर (उ0प्र0) मै ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान) ट्रस्ट/न्यास सिकरारा, जौनपुर (उ0प्र0) का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर्ड करता हू।

1- इस लोक कल्याणकारी एवं मानवता प्रेमी ट्रस्ट/न्यास का निर्माण एवं स्थापना 03 मार्च 2016 ई0 के शुभ अवसर पर किया गया। इस न्यास/ट्रस्ट डीड (दस्तावेज) को ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान) ट्रस्ट/न्यास के नाम से जाना जायेगा। इस न्यास का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा जन शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य विकास, विज्ञान, नैतिक मूल्यों, कला, साहित्य, पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना है।

2- ट्रस्ट/न्यास की विधिक प्रतिबद्धता:-

ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान) ट्रस्ट/न्यास इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट ऐक्ट के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधि में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान) ट्रस्ट/न्यास उसके अनुपाल में प्रतिबद्ध है।

न्यास ट्रस्ट के न्यासकर्ता के द्वारा घोषणा की जाती है कि रुपया 5,000/- (पांच हजार रुपया) से इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है जो कि न्यास/ट्रस्ट के न्यास सदस्यों द्वारा प्राप्त

Ashish Kumar

13137 अ. उ. 16 रजि.
आरक्षी प्रमुख, जौनपुर
आरक्षी प्रमुख, जौनपुर

[Handwritten signature]

वरिष्ठ कोषाधिकारी
08 JAN 2016
जौनपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599200

हुई है। आगे यह घोषणा की जाती है कि जो भी दान, अनुदान, चाहे कोष (फण्ड) या सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगा उसका उपयोग लोक कल्याणकारी, मानव भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन

एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए होगा। प्राप्त अनुदान दान, धनराशि न्यास/ट्रस्ट को प्राप्त है, या प्राप्त होगी उसका उल्लेख रजिस्टर में अंकित होना या बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा।

संस्थापक न्यास/ट्रस्ट ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान) ट्रस्ट के नाम उपरोक्त धनराशि सौंप चुका है तथा न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं संचालन हेतु समर्पित है। न्यास/ट्रस्ट को संचालित करने के लिए नियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष न्यास/ट्रस्ट पहले से ही अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और वैधानिक रूप से 5,000/- रुपया (पांच हजार रुपये) से अपना मालिकाना का अधिकार रखता है। न्यास/ट्रस्ट के समुचित एवं स्थायी सुरक्षा की दृष्टि से अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गयी है। न्यास/ट्रस्ट की औपचारिक दस्तावेज को क्रियान्वित करने के लिए यह समझा जाता है कि न्यास/ट्रस्ट निश्चित शर्तों के साथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को अपना अधिकार प्रदान करती है। न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा इस दस्तावेज को गवाहों के समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रेषित की जाती है।

- 1- रुपये 5,000/- (पांच हजार रुपये) न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी और बाद में न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति कहलायेगी।
- 2- ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम रुपये 5,000/- (पांच हजार रुपये) न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी इसके अतिरिक्त समय-समय पर पूँजी लगाना या किसी क्षेत्र से प्राप्त की गयी धनराशि इसके अतिरिक्त दान-दाताओं एवं स्वयं सेवी संगठनों तथा किसी संस्था अथवा सोसाइटी द्वारा दी गयी रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी।

Adish Kumar



13/38 2.3-16 50/

[Signature]



यास पत्र

5,000.00

100.00

100

200.00

36

न्यास की राशि

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

पृष्ठों की संख्या

श्री

आशीष कुमार

पुत्र श्री

कैलाश नाथ यादव

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी भरतपुर पो0 सिकरारा तह0 सदर जि0 जौनपुर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/3/2016 समय 3:35PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(श्रीनिवास यादव)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

3/3/2016

विनय कुमार सिंह
नि०लि०

Ashish kumar

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री आशीष कुमार

पुत्र श्री कैलाश नाथ यादव

पेशा कृषि

निवासी भरतपुर पो0 सिकरारा तह0 सदर जि0
जौनपुर

Ashish kumar

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान मनीष कुमार सिंह मनीष सिंह
राजेन्द्र प्रसाद सिंह

पेशा व्यापार

निवासी उमरपुर हरिबन्धनपुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0

व

रामआशीष
राजबली यादव

पेशा व्यापार

निवासी भुइली भदेवरा जौनपुर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(श्रीनिवास यादव)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

3/3/2016

विनय कुमार सिंह
नि०लि०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599201

3- न्यास/ट्रस्ट पर प्रोविजन इनकमटैक्स ऐक्ट 1961 की सभी शर्तें लागू होंगी उपरोक्त न्यास/ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो न्यासी/ट्रस्टी बनाये गये:-

क्र०सं०	नाम ट्रस्टी/न्यासी	पद	व्यवसाय	पता
1.	कैलाश नाथ यादव पुत्र श्री भगौती प्रसाद यादव	मुख्य संरक्षक/मुख्य ट्रस्टी	समाजसेवी	ग्राम-भरतपुर, पोस्ट-सिकरारा, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर (उ०प्र०)
2.	आशीष कुमार पुत्र श्री कैलाश नाथ यादव	अध्यक्ष/सचिव मुख्य ट्रस्टी	समाजसेवी	ग्राम-भरतपुर, पोस्ट-सिकरारा, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर (उ०प्र०)
3.	विवेक कुमार यादव पुत्र श्री कैलाश नाथ यादव	कोषाध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी	समाजसेवी	ग्राम-भरतपुर, पोस्ट-सिकरारा, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर (उ०प्र०)
4.	मनीष कुमार सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	संरक्षक/मुख्य ट्रस्टी	समाजसेवी	सहकारी कालोनी उमरपुर जौनपुर (उ०प्र०)
5.	अभिषेक कुमार यादव पुत्र श्री कैलाश नाथ यादव	उपाध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी	समाजसेवी	ग्राम-भरतपुर, पोस्ट-सिकरारा, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर (उ०प्र०)

4- ट्रस्ट/न्यास का नाम- ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान) ट्रस्ट/न्यास

5- ट्रस्ट/न्यास का स्थाई पता- सिकरारा, जौनपुर-222131

6- ट्रस्ट/न्यास निर्माता/न्यासकर्ता- आशीष कुमार पुत्र श्री कैलाश नाथ यादव ग्राम-भरतपुर, पोस्ट-सिकरारा, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर (उ०प्र०)

Ashish Kumar



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

13139 2.3.16 501
- 12187

[Handwritten signature]



न्यासी

Registration No.:

47

Year :

2016

Book No. :

4

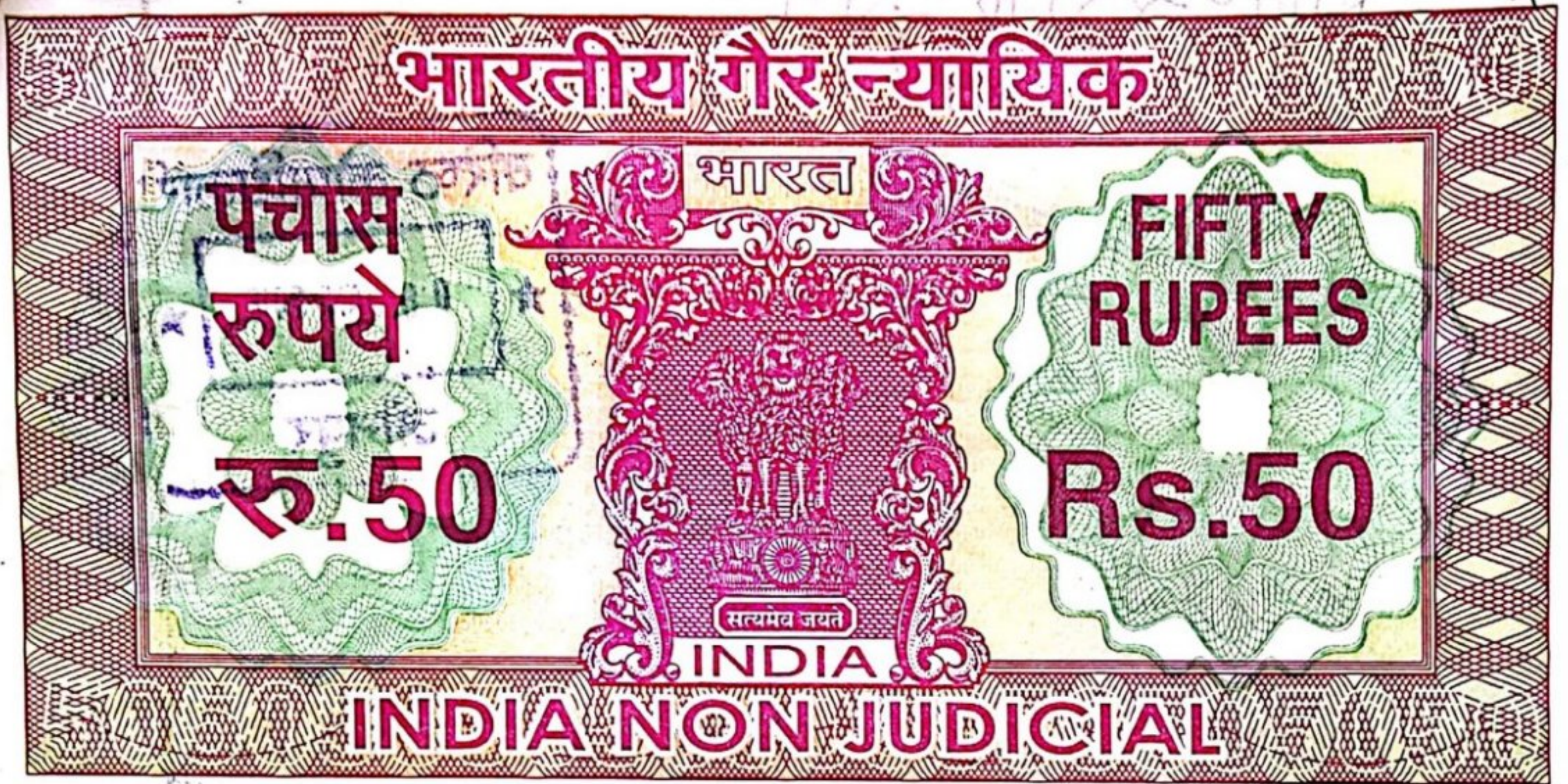
0101 आशीष कुमार.

कैलाश बाथ बादर

भरतपुर पो० शिकारा राह० बादर जि० जौनपुर

वृ०





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599202

- 7- ट्रस्ट/न्यास का कार्य क्षेत्र- सम्पूर्ण भारत
- 8- न्यास द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद - आशीष कुमार पुत्र श्री कैलाश नाथ यादव
ग्राम-भरतपुर, पोस्ट-सिकरारा, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर (उ०प्र०) अध्यक्ष
- 9- न्यासधारी ट्रस्टी- ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान) ट्रस्ट/न्यास, सिकरारा, जौनपुर-222131
- 10- ट्रस्ट/न्यास का स्वरूप-यह ट्रस्ट/न्यास एक एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबुल ट्रस्ट है जो धर्म, जाति, वर्ग सम्प्रदाय एवं राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेगी।
- 11- लाभग्राही-हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध आदि समस्त जाति धर्म के समस्त लोगों को बिना किसी भेद-भाव व सामान्य विकास अर्थात मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगा और सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा, तथा मानव विकास में सहायक प्राणियों, वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।
- 12- फायदाग्राही व्यक्ति- ट्रस्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा, बल्कि ट्रस्ट के विकास या उसके कार्यक्रम के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।
- 13- ट्रस्ट के उद्देश्य-
सामाजिक विकास के लिए विशेषकर इन क्षेत्रों में जैसे भारत वर्ष के निरीह और जरूरतमन्द बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों में अपने उद्देश्यों के निहित भिन्न-भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का संचालन करना एवं उसकी प्रबन्ध समितियों का गठन करना तथा प्रबन्ध समितियों संस्था का संचालन करना।
ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान) ट्रस्ट/न्यास, सिकरारा, जौनपुर (उ०प्र०) के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालन करना, सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों का प्रचार प्रसार एवं प्रवेश आदि संबंधी कार्य, अध्ययन केन्द्र खोलना तथा काउन्सिलिंग सेन्टर खोलना एवं खुलवाना, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज के संचालन/निःशुल्क कम्प्यूटर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था इस ट्रस्ट द्वारा की जाती है।

Ashish Kumar



13140 2.3.16 501
13137 501

[Signature]



गयाह

Registration No.: 47

Year: 2016

Book No.: 4

W1 श्रीराम कुमार सिंह
श्रीराम कुमार सिंह
राजपुरा हरिद्वारपुर चरौ हवेली बाहौ बाहर जि० जौनपुर
व्यापार



W2 रामकृष्ण
राजपुरा बाहर
श्रीराम बाहर जौनपुर
व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599203

सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशाला, अस्पताल तथा प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक, इण्टर एवं सी0बी0एस0सी0 बोर्ड, महाविद्यालय अभियान्त्रिक कालेज, मेडिकल कालेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हास्पिटल, सामाजिक शिक्षा केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा केन्द्र, आवासीय विद्यालय, वृद्धा आश्रम, निराश्रित सेवा केन्द्र (अनाथालय) मूक बधिर, दिव्यांग जन, विकलांग केन्द्र छात्रावास, पशु अस्पताल, गो सेवा सदन, मुर्गी पालन, सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, कृषि विज्ञान-शिक्षा केन्द्र इत्यादि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना।

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, मजदूर महिलाओं, पुरुषों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, कृषि विकास, पशुपालन, पर्यावरण, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, नशाबन्दी निवारण, सामाजिक कुरीतियों, साम्प्रदायिकता निवारण, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का विकास आकस्मिक दुर्घटना में सहायता, महिला उत्पीड़न का विरोध व प्रताड़ित महिलाओं का संरक्षण, अनाथ शिशुओं का संरक्षण व पोषण परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार आदि कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

समय-समय पर मिटिंग, गोष्ठी, सेमीनार, अधिवेशन, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

देश के होनहार प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीति में एवं उत्कृष्ट सेवाओं ईमानदार अधिकारियों, कर्मचारियों को उत्साह के लिए नागरिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन कार्यक्रम के संचालन के लिए जनता व व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थाओं

Ashish Kumar



[illegible]

जौनपुर

[illegible]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599204

तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण/अनुदान, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों/ट्रस्टों से अनुदान, जिला प्रशासन, माओ सदस्य लोक समा/विधान समा/विधान परिषद, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं सरकारों के अधीन विभिन्न मन्त्रालयों व अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा, दान, अनुदान प्राप्त करेगा।

निराश्रित एवं जरूरतमन्दों की मदद करना, न्यास/ट्रस्ट द्वारा जरूरतमन्दों को स्वरोजगार हेतु न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान करना।

दलित एवं अति पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति एस०सी०/एस०टी० एण्ट ओ०बी०सी० के उत्थान के लिए कार्य करना।

समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं विकलांगों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना तथा समाज में आदर्श संस्कृति समानता, भाईचारा एवं सहअस्तित्व स्थापित करने के लिए कार्य करना।

समाज में व्याप्त बुराईयों एवं कुरीतियों का प्रबल विरोध करना एवं व्यक्तियों के सांस्कृतिक तथा चारित्रिक निर्माण के लिए प्रयास करना।

युवकों को मद्यपान एवं नशाखोरी के प्रभाव से निकाल कर पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा उन्हें स्वरोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना।

सभी को शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक विद्यालय, जू०हा०स्कूल, उ०मा० विद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालित करना।

सभी को स्वास्थ्य समृद्धि एवं स्वावलम्बन की व्यवस्था के लिए कार्य करना तथा स्वदेशी की अवधारणा पर खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास करना एवं इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिए टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा कृषकों को सब्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करना एवं प्रशिक्षित करना कृषि आधारित उद्योग के प्रचार-प्रसार एवं स्थापना हेतु उपयुक्त पात्रों को परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं

Ashish Kumar



१५/१२/२०२०
 १५/१२/२०२०
 १५/१२/२०२०

REGULAR RATIO FOR THE

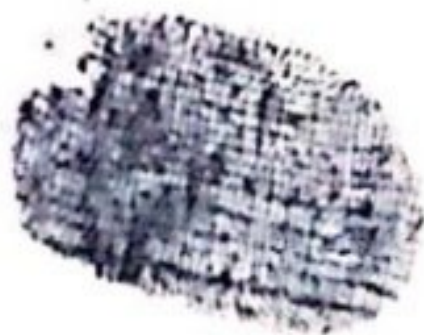


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599205

किसान स्वयंसहायता समूहों का गठन कर उन्हें अनुदान उपलब्ध कराना।
प्राकृतिक आपदाओं जैसे-बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़ितों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराना। समय-समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय/परिषद, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
मातृ-शिशु कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिए कार्य करना तथा प्रचार-प्रसार करना।
ग्राम्य स्तर पर उत्पादित वस्तुओं, हस्तकला सामग्रियों, कताई-बुनाई, सिलाई-कढ़ाई इत्यादि के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
जैविक खेती द्वारा सब्जी, फल एवं अनाज का उत्पादन कराकर एवं फसलों में रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न कीटों (फसल मित्र) का प्रयोग करना रासायनिक विषाक्तता की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना।
गो-वंश संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में कृषकों एवं जनमानस की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य करना।
सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं अन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करना तथा संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
जगह-जगह पर वनौषधिक उद्यानों की स्थापना करा कर औषधियों (विशेषतः लुप्त प्राय) का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाना। गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रचार-प्रसार करना।
देश एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करना तथा समाचार-पत्र एवं पत्रिका सम्पादित करना।

Adrich kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599206

खेल-कूद, पर्यटन योग या लोकगीत, लोक सांस्कृतिक एवं परम्पराओं का प्रचार-प्रसार एवं विकास करना।

नगरीय-शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का समूह बनाकर आर्थिक व सामाजिक रूप से समृद्ध करना तथा राष्ट्रीयकृत बैंको से अनुदान दिलाना।

विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ जैसे-सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, अर्थिक, सामाजिक इत्यादि सूचनाएं एकत्र करना तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।

शासन स्तर से हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासों का प्रचार-प्रसार करना एवं उन दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करना।

अन्य सभी कार्य करना जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।

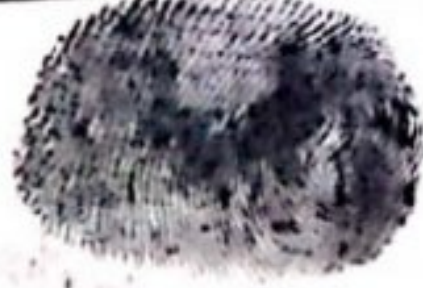
विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना। जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी।

14- ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति- ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में दस्तावेज में उल्लिखित पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगे। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।

15- प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद- ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद ट्रस्टी अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष होंगे, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

17- ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता- ट्रस्ट न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी-

Ashish Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599207

- 1- संस्थापक ट्रस्टी- आशीष कुमार पुत्र श्री कैलाश नाथ यादव ग्राम-भरतपुर, पोस्ट-सिकरारा, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर (उ०प्र०) ,
- 2- मुख्य ट्रस्टी/न्यासी/सदस्य- आशीष कुमार, अभिशेष कुमार यादव, विवेक कुमार यादव , कैलाश नाथ यादव मुख्य ट्रस्टी होंगे, ये संस्थापक ट्रस्टी के कार्यों में सहयोग करेंगे तथा अपनी राय व्यक्त करेंगे। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।
- 3- सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी- जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास को 5000/- (पाँच हजार रुपये) वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी होगा। इसके लिए संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- 4- ट्रस्टी/न्यासी की सदस्यता समाप्ति- पागल होने पर, दिवालिया होने पर या किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने या त्याग पत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी या ट्रस्टी/न्यासी सदस्य ट्रस्ट के खिलाफ काम करने पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलम्बित किये जा सकते हैं।
- 18- प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. चल-अचल सम्पत्ति को खरीदना-बेचना, रेहन रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना या किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना, व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना, निष्कासन करना व किसी अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।

Ashish kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599208

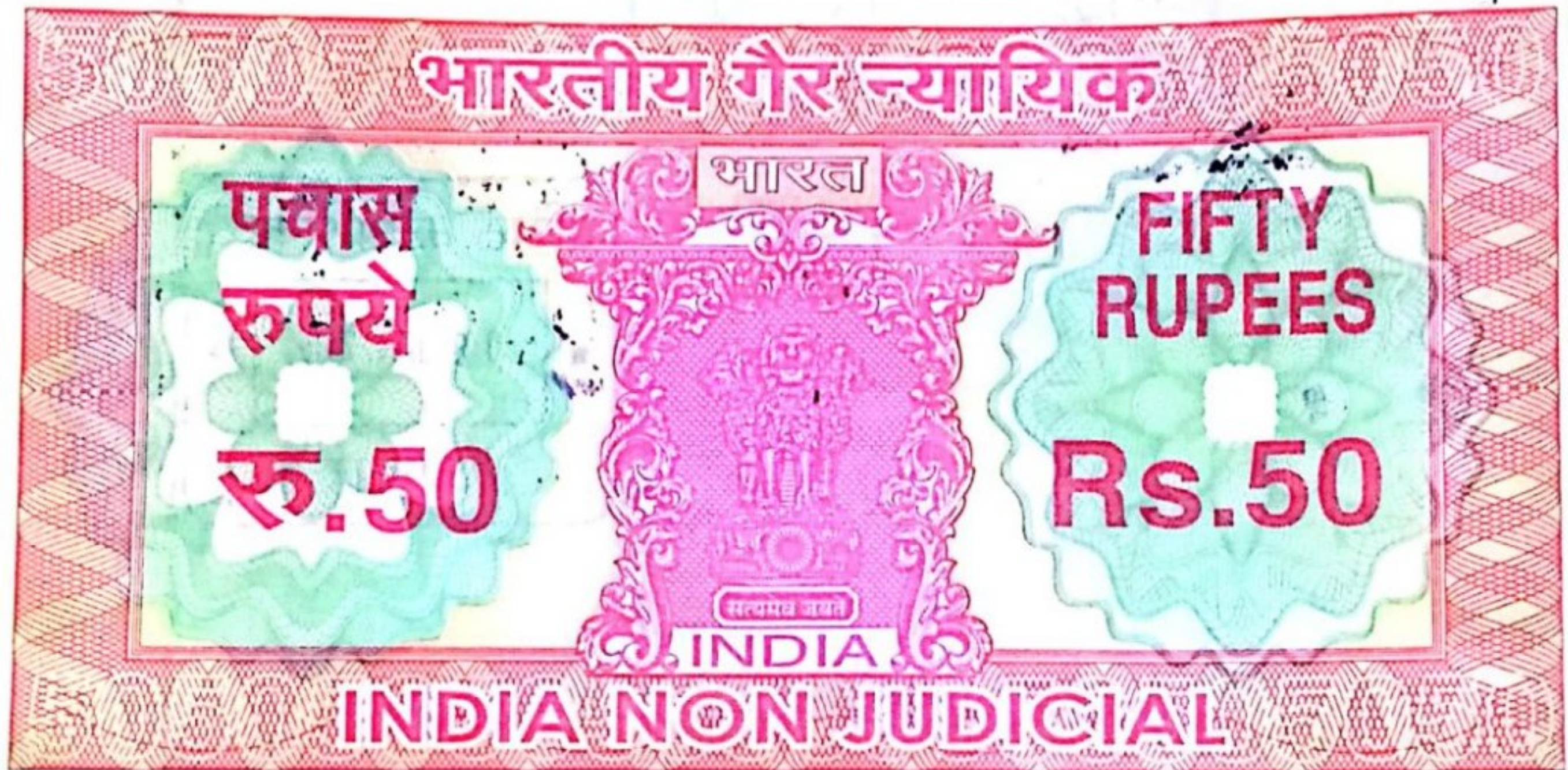
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व मुख्य समितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त कराना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
4. ट्रस्ट न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं को अलग-अलग बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना या परिवर्तन कराना।
5. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए या वाद-विवाद की पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जाँच पड़ताल के लिए ट्रिबनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
6. वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा स्वीकृत करना, तथा आगमी बजट तैयार करना।
7. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।
8. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना और उसको क्रियान्वित करना।
9. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट बोर्ड सर्वाधिकार सम्पन्न है और वह समस्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे।

19- ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार-

ट्रस्ट न्यास अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ही ट्रस्ट/न्यास के मुख्य अधिकारी होंगे, जो ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों के प्रति समर्पित होंगे। न्यासकर्ता ही ट्रस्ट/न्यास की प्रथम आजीवन ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होंगे। ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को अपने आजीवनकाल में उत्तराधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष मनोनीत कर सकते हैं। ट्रस्ट/न्यास

Ashish Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599209

के किसी भी ट्रस्ट/न्यास सदस्यों द्वारा ट्रस्ट/न्यास के प्रति असहयोग या पागल होने पर, दिवालिया होने पर, मृत्यु होने पर, न्यायालय द्वारा सजा पाने पर ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता से मुक्त कर सकती है। ट्रस्ट/न्यास का प्रशासनिक कार्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष द्वारा सम्पादित होगा एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। किसी ट्रस्टी/न्यासी की पूर्ति के लिए मनोनयन करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, वेतन वृद्धि करना, एवं बहाली करना, ट्रस्ट/न्यास के समस्त वैधानिक कागजातों एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना एवं ट्रस्ट/न्यास के चल-अचल सम्पत्ति का स्थानान्तरण करना, खरीदना, या बेचना बैंक खातों का संचालन करना एवं ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्ध कार्यकारिणी के समस्त प्रस्तावों को कार्य रूप में प्रस्तावित करना।

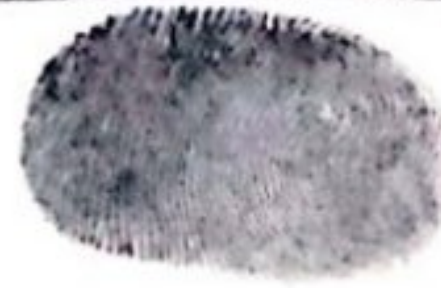
20- मुख्य ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य— मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति में एजेण्डा के अनुसार अपने विचार रखेंगे और निर्णय लेने में प्रबन्धकारिणी समिति की मदद करेंगे प्रबन्धकारिणी समिति आम सहमति से मुख्य ट्रस्टियों की संख्या घटा व बढ़ा सकती है।

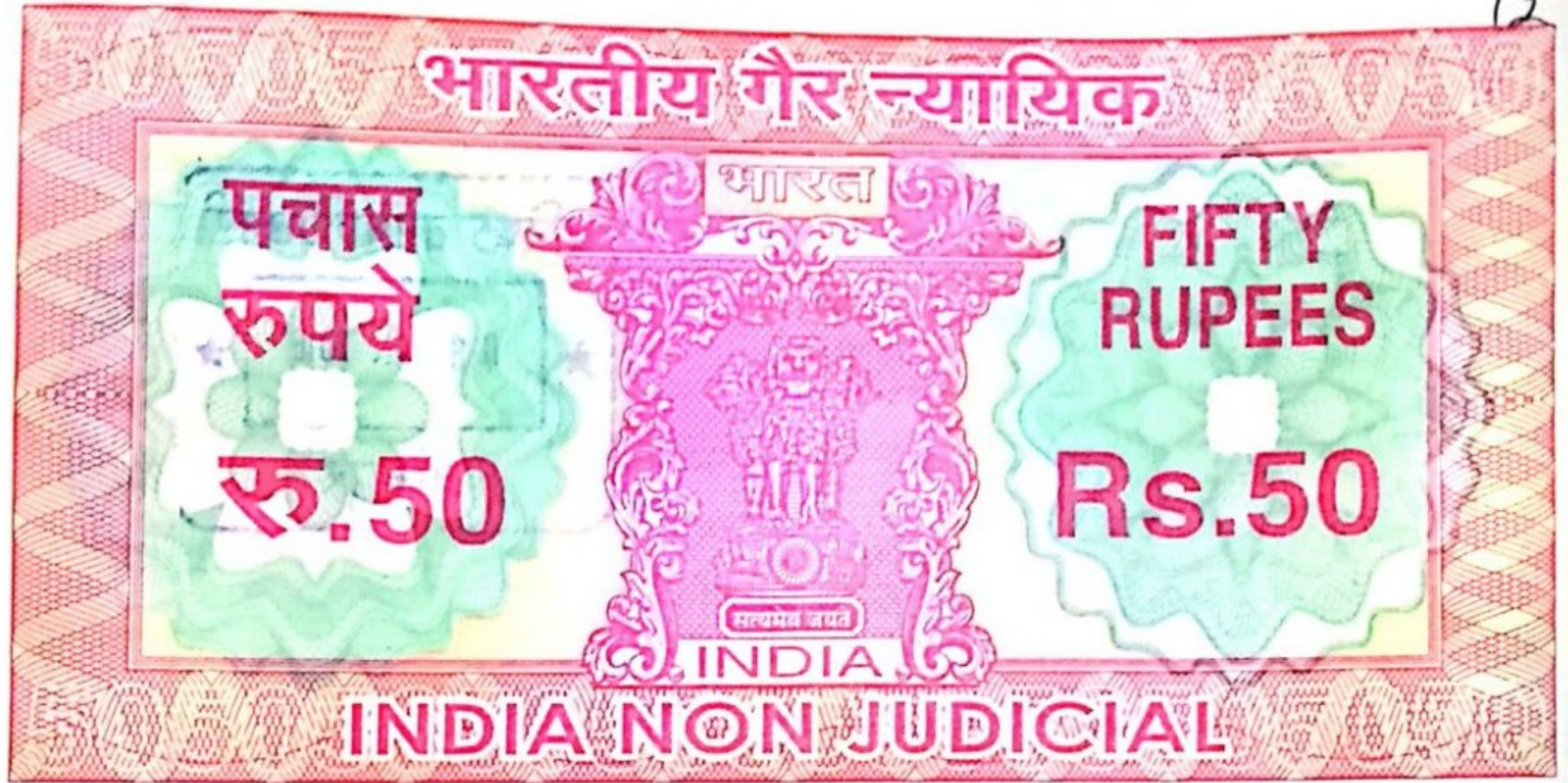
21- सयोगी ट्रस्टी— ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की सहमति उपसमितियों एवं पदाधिकारियों के रूप में मनोनीत किये जायेंगे और वे सौंपे गये कार्यवाही को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

22- ट्रस्ट/न्यास के सामान्य नियम—

1. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में चार सदस्य होंगे जिनमें ट्रस्ट अध्यक्ष, ट्रस्ट उपाध्यक्ष, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष, ट्रस्ट सचिव चार पदाधिकारी होंगे। ट्रस्ट/न्यास के संचालन के लिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होंगे।

Ashish Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599210

2. ट्रस्ट/न्यास की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व अन्त में ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष एवं ट्रस्ट/न्यास सचिव एवं ट्रस्ट/न्यास कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।
3. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्य रूप से एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा प्रमाणित संसाधन द्वारा दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक बैठक 24 घण्टे में बुलाई जा सकती है।
4. ट्रस्ट/न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 21 तक होगी।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नहीं है और उसको समिति में रखना है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की अनुमति से रखा जा सकता है।
6. निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। समान मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
7. ट्रस्ट/न्यास का वार्षिक अधिवेशन एवं समय पर आडिट करना प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के निर्देशों पर होगा।

23- ट्रस्ट/न्यास के दस्तावेजों में संशोधन- ट्रस्ट/न्यास यदि यह महसूस करता है कि इसके दस्तावेज में किसी धारा में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक है तो वह संस्थापक सदस्यों की अनुमति से कर सकता है।

24- ट्रस्ट/न्यास का कोष- ट्रस्ट/न्यास अपने किसी निजी या अपने अधीनस्थ किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी व्यवसायिक बैंक या पोस्टऑफिस में प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो के हस्ताक्षरों से खाता खोला जा सकता है तथा कोई भी

Ashish Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599211

अध्यक्ष के हस्ताक्षर या अध्यक्ष द्वारा नामित के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा। आवश्यकतानुसार उन खातों में परिवर्तन कर सकता है। ट्रस्ट न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता परिचालित करना होगा।

25- विवाद की स्थिति में निर्णय- ट्रस्ट/न्यास में से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टियों को ट्रस्ट के दस्तावेजों के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट में संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष ट्रस्ट की प्रबन्ध कार्यकारिणी होंगे तथा अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष ट्रस्ट की प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट/न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति परिस्थिति में अन्तिम प्रबन्धकारिणी समिति एवं अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा। किसी भी परिस्थितियों में कोई भी ट्रस्टी सदस्य किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। यह ट्रस्ट/न्यास तथा उससे संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

26- ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड व अभिलेख-सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता फाइल, कैश-बुक, लेजर, बाउचर फाइल, रसीद, बही, पासबुक, चेक बुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के पास रहेगा।

27- अनुशासनात्मक कार्यवाही- ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधीनस्थ किसी संस्था समिति के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति करेगी।

28- वाद-विवाद (प्रतिवाद)- समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का कार्यक्षेत्र जौनपुर, उ०प्र० रहेगा तथा ट्रस्ट/न्यास दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद-विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पदनाम से होंगे व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद-प्रतिवाद की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

Ashish Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599212

29- परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट/ न्यास की व्यापकता- ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी प्रान्त, जिला, महानगर, तहसील व ग्रामों में चलाई जायेगी।

30- पदों के सृजन- ट्रस्ट/न्यास आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और इन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों से मनोनीत करके उन्हें कार्य सौंप सकता है।

31- ट्रस्ट/न्यास का विस्तार- ऐजेयष (आयुष जनसेवा संस्थान) ट्रस्ट/न्यास अपने कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए सम्पूर्ण भारत के किसी भी राज्य एवं जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

32- लेखा-जोखा (आडिट)- आर्थिक वर्ष के उपरान्त न्यास/ट्रस्ट अपने लेखा-जोखा को घुस्त दुरुस्त और उसकी आडिट भी करायेगा आवश्यकता पड़ने पर अपने खर्चे से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से आडिट करायेगा तथा उसका लेखा-जोखा भी रखेगा। चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) की मदद भी ले सकता है।

Ashish Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 599213

साक्षिदाकर्ता: श्री आशीष कुमार सिंह व. न.
सहा. जौनपुर 3/3/2016

Ashish Kumar

श्री आशीष कुमार
पुत्र श्री कैलाश नाथ यादव
ग्राम- भरतपुर,
पोस्ट- सिकरार
तहसील-सदर
जनपद-जौनपुर
पिन-222131



टाइपकर्ता:
अमित सिंह . Amit

जौनपुर

गवाह-

1.

2.



Manish Singh

MANISH KUMAR SINGH
S/O
RAJBENDRA PRASAD SINGH
HARIBANDHANPUR
UMARPUR
JHUNPUR



Ram Ashresh
S/o S/o
Raj Bali Yadav
Vill. Bhueli
Post - Bhadega
Dist - Jaunpur
UP.
222133

13/1/2016 501

उप/सहायक सीक
 6 असाधार
 जे. ए. ए. - सीक

वरिष्ठ कोषाधिकारी
 08 JAN 2016
 जौनपुर

...

...

...

मानव संसाधन वि
 भाग, जौनपुर जिला
 प्रमुख - सीक
 प्रमुख - सीक
 प्रमुख - सीक
 प्रमुख - सीक
 प्रमुख - सीक

...

...



...

...

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

प्रमाण पत्र
IDENTITY CARD

EFL2142507



आशीष कुमार
Ashish Kumar
कैलाश
Kailash

पुरुष
Male
12003

Ashish Kumar

This card is to be used as an
identity card for the voter
and is to be kept in the voter's
house at all times.

Place: Jampur

Date: 23-01-2003

Signature of
Electoral Registration Officer

Signature of
Voter

Signature of
Witness

Signature of
Polling Officer

Signature of
Returning Officer

Signature of
Voter

Signature of
Witness

Signature of
Polling Officer

Signature of
Returning Officer

Signature of
Voter

Signature of
Witness

Signature of
Polling Officer

Signature of
Returning Officer

Signature of
Voter

Signature of
Witness

Signature of
Polling Officer

Signature of
Returning Officer

Signature of
Voter

Signature of
Witness

Signature of
Polling Officer

Signature of
Returning Officer

Signature of
Voter

Signature of
Witness

Signature of
Polling Officer

Signature of
Returning Officer

Signature of
Voter

Signature of
Witness



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



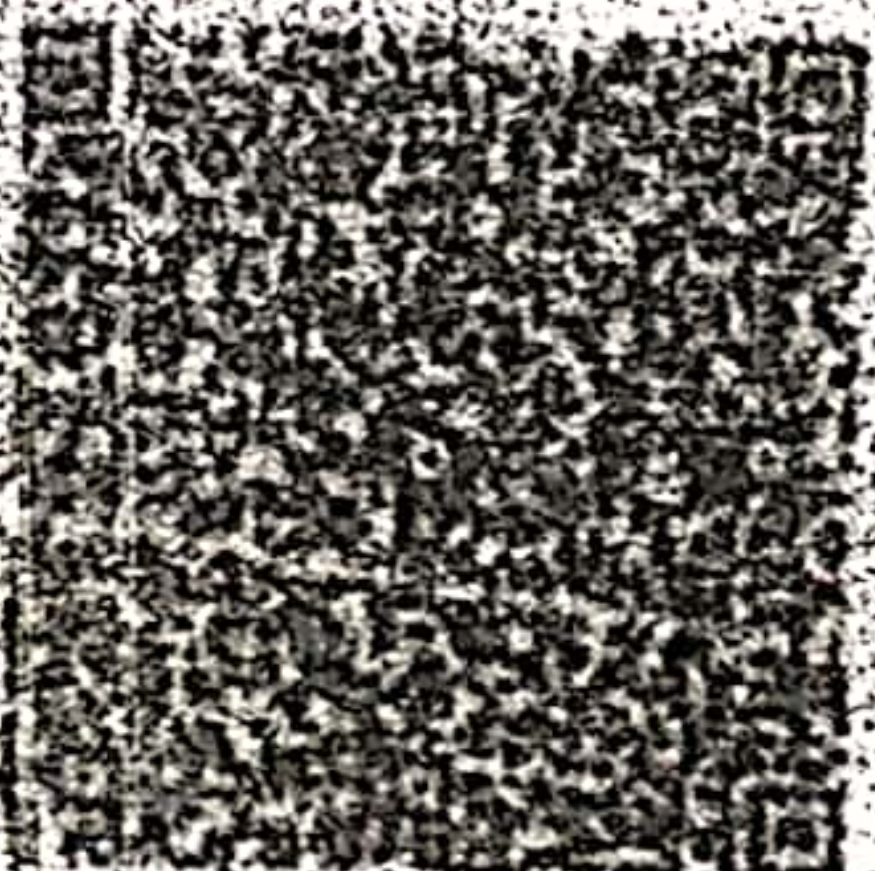
राम आशीष यादव

Ram Ashish Yadav

जन्म तिथि / DOB : 18/05/1980

पुरुष / Male

9572 0798 3381



आधार - आम आदमी का अधिकार



Unique Identification Authority of India

पता: रंजित रामवती, भुवनेश्वर, Odisha
जिला: रंजित रामवती, जिला: भुवनेश्वर, Odisha 751013
222133

9572 0798 3381

1947
1800 200 1847

help@uidai.gov.in

UIDAI

Ram Ashish

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
IKP1610591



निर्वाचक का नाम :
मनीष कुमार सिंह

Elector's Name

MANISH KUMAR SINGH

पिता का नाम

राजेंद्र प्रसाद सिंह

Father's Name

RAJENDRA PRASAD SINGH

लिंग / Sex

पुरुष / Male

जन्म तिथि DOB

08/12/1975

manish singh

IKP1610591

पता न.स.54
उमरपुर हरिबन्धनपुर
उमरपुर हरिबन्धनपुर
तहसील सदर
जिला जाँपुर

Address-H.No 54
Umarpur Haribandhanpur
Umarpur Haribandhanpur
TEH-Sadar, DIST-Jaunpur

Date: 21-8-2013
368 जाँपुर निर्वाचन क्षेत्र में
निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करने के
हस्ताक्षर की अनुमति

Facsimile Signature of the Electoral
Registration Officer for 368-Jaunpur
Constituency

275/368

पता बदलने पर नये पते पर अपना
नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज करवाने
तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड
पाने के लिए सम्बन्धित फार्म में यह
कार्ड नम्बर अवश्य लिखो
In case of change in address, mention this Card
No. in the relevant Form for including your
name in the roll at the changed address and to
obtain the card with the same number.

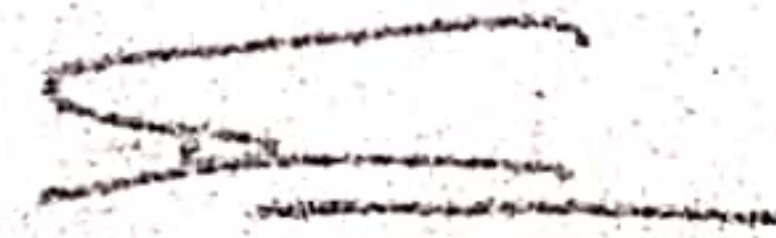
आज दिनांक 03/03/2016 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 105

पृष्ठ सं. 49 से 84 पर क्रमांक 47

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



(श्रीनिवास यादव)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

3/3/2016

